भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3307

जिसका उत्तर शुक्रवार, 07 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या

3307. प्रो. सौगत राय :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या में समय-समय पर हुई वृद्धि के बावजूद विभिन्न उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों की बढ़ती संख्या का संज्ञान लिया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या में हाल ही में की गई वृद्धि की तर्ज पर, सभी उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या में पर्याप्त वृद्धि करने का प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हाँ, तो उच्च न्यायालय-वार, प्रस्तावित वृद्धि और कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने मामलों के लंबित रहने, दर्ज होने और निपटान, न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात तथा क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर प्रत्येक उच्च न्यायालय में आवश्यक न्यायाधीशों की अतिरिक्त संख्या का कोई आकलन किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) रिक्तियों को समय पर भरने, न्यायिक अवसंरचना को मजबूत करने और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए न्यायपालिका के परामर्श से सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ङ) : उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन उच्चतम न्यायालय की 28 अक्तूबर 1998 की सलाहकारी राय (तीसरा न्यायाधीश मामला) के साथ पठित और उसके 6 अक्तूबर 1993 के निर्णय (दूसरा न्यायाधीश

मामला) के अनुसरण में 1998 में तैयार प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किए जाते है।

प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को प्रारंभ करने का उत्तरदायित्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को प्रारंभ करने का उत्तरदायित्व उच्च न्यायालय के दो ज्येष्ठतम अवर न्यायाधीशों के परामर्श से संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित है। एमओपी के अनुसार, उच्च न्यायालयों से रिक्ति होने से कम से कम 06 मास पहले सिफारिशें करने की अपेक्षा होती है। तथापि, इस समय सीमा का पालन शायद ही कभी किया जाता है । उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के लिए, संबद्ध राज्य सरकार के विचार एमओपी के अनुसार प्राप्त किए जाते हैं। सिफारिशों पर ऐसी अन्य रिपोर्टों के आलोक में भी विचार करना होता है, जो विचाराधीन नामों के संबंध में सरकार को उपलब्ध हो । उच्च न्यायालय कॉलेजियम, राज्य सरकारों और भारत सरकार की सिफारिशें फिर सलाह के लिए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को भेजी जाती हैं। उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगकारी प्रक्रिया है। इसके लिए राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर विभिन्न सांविधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन की अपेक्षा होती है। केवल वे व्यक्ति जिनके नाम की एससीसी द्वारा सिफारिश की जाती हैं, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाते हैं।

उच्च न्यायालयों की न्यायाधीश पदसंख्या में समय-समय पर वृद्धि की जाती है। उच्च न्यायालयों की पदसंख्या 2014 में 906 से बढ़कर 2026 में 1122 न्यायाधीश हो गई है।

विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। न्यायालयों में मामलों का समय पर निपटान अनेक कारकों पर निर्भर करता है जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृंद और भौतिक अवसंरचना, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों अर्थात विधिज्ञ, अन्वेषण अभिकरणों, साक्षियों और वादियों का सहयोग सम्मिलित है। तथापि, सरकार मामलों के शीघ्र निपटान और लंबित मामलों को कम करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के तेजी से निपटान के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए कई पहल की हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ, ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के अधीन न्याय तक पहुंच बढ़ाने और अधिक पारदर्शिता के लिए नवीनतम तकनीकों का समामेलन, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय, नई दांडिक विधियों का अधिनियमन, वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देना और मानव संसाधन विकास पर बल देना सम्मिलित हैं।
